

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश व पत्र
का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पारित
प्रशासनिक आदेश संख्या 117/2020

06.04.2020

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पत्रांक पीएस(आरजी)/39/2020: इलाहाबाद: दिनांकित: अप्रैल 06, 2020 इस आशय का प्रेषित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या 564/2020 (In re Versus State of U.P.) में दिनांक 26.03.2020 ई0 को पारित किये गये आदेश के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.04.2020 को पारित किये गये आदेश का पूर्ण अनुपालन कराया जाय।

उक्त पत्र के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 06.04.2020 में इस आशय का उल्लेख है कि, "To meet the eventualities occurred as a consequence to lockdown due to the threat of Novel Corona Virus (COVID-19), we issued certain directions under an order dated 26th March, 2020. In continuation of the directions aforesaid it is further directed that:-

(i) As per provisions of Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 the award in the mater other than international commercial arbitration is required to be made within a period of twelve months from the date of completion of pleadings under sub-section (4) of Section 23. The requirement of Section 29A of the Act is mandatory by nature. However, looking to the extraordinary circumstances, it is desirable to extend the period aforesaid.

Accordingly, it is directed that if in any arbitral proceedings the pleadings under sub-section (4) of Section 23 of the Act have been completed and the period of twelve months has expired or is going to be expired on or after 25th March, 2020 then the same stands extended upto 25th May, 2020.

(ii) It is brought to our notice that before enforcement of the lockdown different courts in the State of Uttar Pradesh including the High Court have granted orders to release the accused-applicants on bail but they have not been released, so far due to non-availability of sureties. Looking to impediments in arranging sureties because of



lockdown, while invoking powers under Article 226 and 227 of the Constitution of India, we deem it appropriate to order that all the accused-applicants whose bail applications came to be allowed on or after 15th March, 2020 but have not been released due to non-availability of sureties as a consequence to lockdown may be released on executing personal bond as ordered by the Court or to the satisfaction of the jail authorities where such accused is imprisoned, provided the accused-applicants undertakes to furnish required sureties within a period of one month from the date of his/her actual release."

तदनुसार आर्बिट्रेशन एवं कान्सिलिएशन एक्ट, 1996 की धारा 23 की उपधारा (4) के तहत यदि कोई आर्बिट्रल कार्यवाही के अभिबचन पूर्ण हो चुके हैं और उसकी 12 (बारह) माह की समयावधि समाप्त हो चुकी है अथवा 25 मार्च, 2020 तक या उसके बाद समाप्त होने वाली है, उसे दिनांक 25.05.2020 तक विस्तारित कर दिया गया है।

वे सभी अभियुक्तगण/प्रार्थीगण जिनके जमानत आवेदन उ0प्र0 राज्य के किसी भी न्यायालय (माननीय उच्च न्यायालय सहित) द्वारा दिनांक 15.03.2020 अथवा उसके बाद स्वीकृत किये गये हैं तथा वे लाक-डाउन के कारण प्रतिभूगण की अनुपलब्धतावश रिहा नहीं हो पाये हैं, उन्हें जैसा कि न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है अथवा जेल प्राधिकारी जहाँ अभियुक्त निरूद्ध है की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बन्ध पत्र दाखिल करने पर इस दशा में रिहा किया जा सकता है यदि वह अभियुक्त इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि वह वास्तविक रिहाई की तिथि से एक माह के अन्दर अपेक्षित प्रतिभूगण प्रस्तुत कर देगा/देगी।

इस आदेश को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण के मध्य अविलम्ब परिचालित किया जाय तथा इसकी एक प्रति जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर अविलम्ब चस्पा की जाय।

(प्रमोद कुमार शर्मा)

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,

दिनांक: अप्रैल 06, 2020


6-4-2020

संख्या: /प्रथम,

दिनांक: 06.04.
मार्च 28, 2020

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
01. जिलाधिकारी, आजमगढ़,
 02. पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़.

03. नोडल आफिसर (कम्प्यूटर)/सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय, आजमगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश व इस आदेश की प्रति को जनपद न्यायालय, आजमगढ़ की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रस्तुत करें।
04. कारागार अधीक्षक, आजमगढ़।
05. अध्यक्ष/मंत्री, दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ, आजमगढ़,
06. जिला सूचना अधिकारी, आजमगढ़ को ऐसे समाचार-पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित जो कि जनपद आजमगढ़ में सर्कुलेशन में हो ताकि इसकी जनसामान्य को जानकारी हो सके।


(प्रमोद कुमार शर्मा)

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
आजमगढ़,

6-4-2020